


बिहार, सरकार
समाहरणालय, गोपालगंज
(जिला पशुपालन कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा संख्या- 01

उत्पादन/भंडारकर्ता/उप भंडारकर्ता पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/सुखाड सहाय्य कार्य के लिए भूसा/कुट्टी (पुआल) का सील बंद निविदा गोपालगंज जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2017-18 के लिये आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रथम प्रकाशन के 15 वें दिन शाम 5 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय गोपालगंज में प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी गोपालगंज की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा प्राप्ति के अगले दिन 3.00 बजे दिन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्तें जिला पशुपालन पदाधिकारी गोपालगंज के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.gov.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 5000/- (पाँच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो गोपालगंज शाखा में भुगतये होगा, जमा करना अनिवार्य है।


जिला पदाधिकारी
गोपालगंज

निविदा की शर्तें

1. तकनिकि एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का भूसा/कुट्टी (पुआल) हेतु निविदा अंकित होगा।
2. तकनिकी निविदा में निम्नलिखित शर्तें होगी—
 - (क) 5000/ का बैंक ड्राफ्ट जो कि असफल निविदा दाता को वापस किया जा सकेगा।
 - (ख) उत्पादन भंडारण, डीलरशिप, का प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
 - (ग) ISI प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
 - (घ) पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। (वाणिज्यकार विभाग से)
 - (ङ) VAT किलीयेरेंस प्रमाण पत्रा की छाया प्रति।
 - (च) PAN कार्ड की छाया प्रति।
 - (छ) विगत तिन वर्षों की आयकर रिटर्न छाया प्रति।
 - (ज) काली सूची में दर्ज नहीं रहने संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
 - (झ) सामग्री का नमूना 500gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद।
 - (ञ) सरकारी संस्था में आपूर्ति के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
 - (ट) वार्षिक टर्न ऑवर (कम से कम 5 लाख वार्षिक) की छाया प्रति।
 - (ठ) सभी शर्तें मान्य होने संबंधी प्रमाण पत्र।
3. तकनिकी निविदा, निविदा दाता या उसके प्रतिनिधी के समक्ष खोला जायेगा। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो आपदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय निविदादाता के लिये मान्य होगा।
4. तकनिकी निविदा में सफल निविदा दाता का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. आपदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम होगा।
6. वित्तीय निविदा में दर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर साईटिंग मान्य नहीं होगा।
7. सामग्री की आपूर्ति गोपालगंज जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलो के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिये परिवहन मद में अलग से देय नहीं होगा।
8. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर अदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
9. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अंदर जिला पशुपालन पदाधिकारी से एक एकरारनामा कराना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा आपदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
10. सभी अंचलों में निर्दिष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता जिम्मेवार होंगे।
11. भूसा सूखा कवक रहित उच्च गुणवत्ता का होगा और उत्पादन से तीन माह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये। नमी 10: से अधिक नहीं होगी। (Annexure 'A')
12. 15 दिनों के अंदर आपूर्ति नहीं करने पर कुल मुल्य का 5% दण्ड लगाया जायेगा जिसका निर्णय आपदा समिति द्वारा लिया जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर निविदा रद्द किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पडने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
14. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जायेगा।
15. कोई भी विवाद होने पर आपदा समिति का निर्णय वाध्यकारी होगा।
16. सारी विवाद गोपालगंज न्यायालय के दायरे में होगा।

17. भूसा के गुणवत्ता में सदेह होने पर गुणवत्ता जाँच कराई जा सकती है।
18. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अचलाधिकारी के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आंवटन से किया जायेगा।

Annexure 'A'

Sl.No.	Item	Specification
1	Wheat Straw(Bhusa)	Moisture Less then 10% Without Fungus
2	Paddy Straw (Kutti)	Moisture Less then 10% Without Fungus


जिला पदाधिकारी
गोपालगंज